

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
06.08.2014 को लोक सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 3880

परमाणु सुरक्षा संबंधी अभिसमय

3880. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) वियना में मार्च-अप्रैल 2014 के दौरान आयोजित परमाणु सुरक्षा संबंधी अभिसमय (सीएनएन) की छठी समीक्षा बैठक का क्या परिणाम रहा;
- (ख) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुरक्षा और संरक्षा उपायों को कार्यान्वित करने हेतु कार्रवाई शुरू करती है;
- (ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) यूरेनियम कच्चे मालों के अन्वेषण, उत्खनन, उत्पादन और आपूर्ति के दौरान पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए क्या कार्रवाई शुरू की गई है;
- (ङ) विकिरण से श्रमिकों की रक्षा हेतु क्या कार्रवाई की गई है;
- (च) विकिरण के कारण प्रभावित लोगों की रक्षा हेतु सरकार की पहलें क्या हैं; और
- (छ) क्या सरकार का विचार कोल्लम और अलापुजा के तटवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों की स्वास्थ्य देखभाल और विकिरण सुरक्षा हेतु योजनाएं कार्यान्वित करने का है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

- (क) 24 मार्च से 04 अप्रैल, 2014 तक के दौरान वियना में आयोजित नाभिकीय संरक्षा कन्वेंशन (सीएनएस) की छठी पुनरीक्षा बैठक के दौरान, भारत के नाभिकीय विद्युत संयंत्र की सुरक्षा संबंधी स्थिति, और उसकी नाभिकीय संरक्षा पुनरीक्षा तथा नियामक प्रणाली पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में, जापान में हुई फुकुशिमा दुर्घटना के बाद, हाल ही में भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा को बढ़ाने और हमारी संरक्षा पुनरीक्षा संबंधी प्रणाली तथा नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को लाइसेंस देने संबंधी पहलुओं जिनमें नवीनतम संरक्षा संबंधी मानकों और प्रक्रियाओं के मद्दे नजर संयंत्र की संरक्षा का पुनः आकलन शामिल था, पर प्रकाश डाला गया था। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की लाइसेंसिंग प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए कड़ी आवधिक संरक्षा संबंधी पुनरीक्षा की जाती है, जिसमें संरक्षा संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है, और इसमें नवीनतम तकनीकी सूचना को ध्यान में रखा जाता है, और इसे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखा गया है जिसके परिणामस्वरूप संरक्षा का लगातार उन्नयन होता रहता है।

- (ख) जी, हाँ। भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा संबंधी प्रणाली को, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा संरक्षा संहिताओं, संरक्षा दिशानिर्देशों और संरक्षा मैनुअलों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तथा (ग) विनियमित और लागू किया जाता है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की ये अपेक्षाएं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसेकि इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिओलॉजिकल प्रोटेक्शन (आईसीआरपी) के अनुरूप हैं।
- (घ) खानों में काम करने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत संरक्षी उपस्कर और वर्दी प्रदान की जाती है। प्रत्येक यूनिट में वर्दी को धोने और स्नान की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भूमिगत खानों में पर्याप्त संवातन सुविधाएं प्रदान की गई हैं। नामी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा निर्मित खनन उपस्कर, जिनमें प्रचालक और पर्यावरण के लिए संरक्षा की अंतर्निहित सुविधा उपलब्ध होती है, को खनन कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा निर्धारित इंजीनियरिंग सुरक्षोपायों का कड़ाई से पालन किया जाता है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा खनन तथा इसके साथ-साथ पेषण कार्यों के लिए लाइसेंस केवल तभी जारी किया जाता है, जब इस बात की पुष्टि कर ली जाती है कि, इन प्रचालनों से कार्मिकों, आम लोगों और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। विकिरणसक्रिय अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के लिए अलग-अलग सीमाएं निर्धारित की गई हैं, और निर्धारित संरक्षा संबंधी शर्तों और विनियामक मानदंडों के अनुरूप इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से निरीक्षण किए जाते हैं।
- (ङ) नियोजित किए गए कार्मिकों के संरक्षण के लिए एक व्यवस्थित और प्रभावी मॉनीटरिंग प्रणाली स्थापित करने की दृष्टि से, प्रत्येक केन्द्र में, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) की एक पूर्ण विकसित और भली-भांति सुसज्जित स्वास्थ्य भौतिकी यूनिट एवं पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशाला (एचपीयू/ईएसएल) प्रचालनरत है। विकिरण-संरक्षा के क्षेत्र में सुयोग्य वैज्ञानिक और प्रशिक्षित व्यावसायिक, पर्यावरण में उन्मुक्त होने वाली विकिरणसक्रियता की मात्रा का नियमित रूप से मानीटरन करते हैं और उस पर लगातार निगरानी रखते हैं।
- (च) यूरेनियम की खानों और मिल में काम करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य का आवधिक रूप से मानीटरन परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है और उसकी सूचना निर्धारित प्रपत्रों में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद को दी जाती है। कार्मिकों के स्वास्थ्य पर ऐसा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया है जिसकी वजह आयनकारी विकिरण से अथवा विकिरणसक्रिय अपशिष्ट पदार्थों से उदभासन हो।
- (छ) जी, नहीं। तथापि, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के संयंत्रों के प्रचालनरत क्षेत्रों में लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या और विकिरण संरक्षण के संबंध में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों और दिशानिर्देशों को क्रियान्वित करता है। इसके अतिरिक्त, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, अपने संयंत्रों से दस किलोमीटर की दूरी के भीतर रहने वाले लोगों को अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) योजना के अंतर्गत ऐसी ही सुविधा प्रदान करता है। कोल्लम तथा अलापुजा इस दूरी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं।
